ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-7* October-2021
Anthology : The Research

समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा
Increasing Violence Against Women In Society

Paper Submission: 01/010/2021, Date of Acceptance: 06/10/2021, Date of Publication: 07/10/2021

प्रीति
शोध छात्रा,
राजनीति विज्ञान विभाग,
आर0जी0 पी0जी0 कॉलेज,
मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत

बीना राय
एसोसिएट प्रोफेसर,
राजनीति विज्ञान विभाग,
आर0जी0 पी0जी0 कॉलेज,
मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

महिलाऐं किसी भी समाज का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है। प्राचीन समय से ही उनको शक्ति का स्वरूप माना जाता है। भारत की लगभग आधी जनसंख्या महिलाओं की है परन्तु फिर भी उन्हें सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक भेदभाव को झेलना पड़ता है। स्वतंत्रता से पहले महिलाओं की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी परन्तु जैसे ही संविधान का निर्माण हुआ तो महिलाओं की स्थिति को सुधारने हेतु संविधान द्वारा कुछ प्रावधान प्रदान किये गये। परन्तु स्थिति में कुछ खास सुधार नहीं हो पाया महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा को भारतीय साहित्यकार ने भी अपने नाटकों, कविताओं और लेखों के द्वारा उजागर करने का भी प्रयास किया है और इस बात कि ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कि नारी जगत की जननी है जो विश्व का पालन-पोषण करती है परन्तु फिर भी उसकी हमेशा निंदा की जाती है उसका सदैव उत्पीड़न एवं शोषण होता रहा है। समाज में सभी स्थानों पर उसके साथ अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़, बलात्कार, दहेज उत्पीड़न आदि मामले दिन-प्रतिदिन प्रकाश में आते रहते हैं। महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की समस्या कोई नई नहीं है भारतीय समाज में महिलाऐं एक लम्बे समय से शोषण का शिकार रही हैं, समाज के विभिन्न रीति-रिवाजों और समाज में प्रचलित विभिन्न प्रथाओं का महिलाओं के उत्पीड़न में प्रमुख योगदान रहा है। इनमें से कुछ रीति-रिवाज आज भी हमारे समाज में विद्यमान हैं जिसके कारण बहुत-सारी महिलाऐं आज भी हिंसा का शिकार हैं-देश की आधी आबादी कह जाने वाली महिलाऐं कितनी सुरक्षित हैं, ये प्रश्न लगातार बना हुआ है। जैसे ही हम महिला सशक्तिकरण का एक सुनहरा पेज पलटने की कोशिश करते हैं, वैसे ही एक नयी घटना हमें कड़वी हकीकत से हमारा सामना करा देती है-नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार भारत में बलात्कार की दो घटनाओं के बीच 22 मिनट का अन्तराल होता है आज UN Report of Human Rights Thompson Writer के सर्वे के अनुसार महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा और महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा के मामलों के सामाजिक कारण भारत को महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश माना गया है। इसीलिए इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर विचार-विर्मश करने की बहुत आवश्यकता है।

Women are an important part of any society. Since ancient times, they are considered as the embodiment of power. Women constitute almost half of India's population but still they have to face social, political and economic discrimination. Before independence, the condition of women was very pathetic, but as soon as the constitution was framed, some provisions were provided by the constitution to improve the condition of women. But there has not been much improvement in the situation, the Indian litterateur has also tried to highlight the increasing violence against women through his plays, poems and articles and drawing attention to the fact that women are the mother of the world, which She nurtures the world but still she is always condemned, she has always been oppressed and exploited. Cases of indecent behavior with her and molestation, rape, dowry harassment etc. come to light day by day at all places in the society. The problem of violence against women is not new, in Indian society, women have been a victim of exploitation for a long time, various customs of the society and various practices prevalent in the society have been a major contributor to the oppression of women. Some of these customs still exist in our society, due to which many women are still victims of violence - the question of how safe are the women who are said to be half the population of the country, this question remains a constant. As we try to turn a golden page of women empowerment, a new incident confronts us with the bitter reality – 22 minutes gap between two rape incidents in India as per National Crime Records Bureau data. Today, according to the UN Report of Human Rights Thompson Writer survey, India has been considered the most unsafe country for women due to social reasons for increasing cases of sexual violence

against women and increasing violence against women. That is why there is a great need to deliberate on such sensitive issues.

मुख्य शब्द समाज में महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा, यौन उत्पीड़नबलात्कार, दहेज के लिए उत्पीड़न
Increasing Violence Against Women In Society, Sexual Harassment, Rape, Harassment For Dowry

प्रस्तावना

यदि हम किसी विकसित समाज की बात करते हैं तो उस समाज का स्वरूप हमारे सामने हैं जहाँ सामाजिक सुरक्षा हो, अपने ढंग से जीवन जीने की आजादी हो यदि हम महिला विकास को इस कसौटी पर परखे तो पता चलता है कि विश्व की आधी आबादी आज भी विकास से मीलों दूर है, जिस तरह से समाज में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में बढ़ोत्तरी हो रही है। उस तरह से किसी भी समाज को विकास के पथ पर अग्रसर नही कहा जा सकता है।

यदि हम प्राचीन भारत के इतिहास पर दृष्टि डालते हैं तो जानकारी मिलती है कि वैदिककाल में महिलाओं को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। उस समय महिलाओं की सम्मानजनक स्थिति थी। परन्तु धीरे-2 महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन होता गया और मध्यकाल तक आते-2 महिलाओं के प्रति अपराधों में बढ़ोत्तरी होती गयी और उनकी स्थिति दयनीय बनती गयी है।

वर्तमान समय भौतिकता का युग है मनुष्यों की कार्य शैली में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। आज के समय में मनुष्य सारी सुख सुविधाओं को तेजी से प्राप्त करके आराम लेना चाहता है। व्यक्तियों की सोच में आये इस परिवर्तन से अपराधों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। जैसे-2 समाज में अपराध बढ़ रहे हैं उसी प्रकार महिलाओं से सम्बन्धित अपराधों में भी वृद्धि हो रही है। समाज में किस प्रकार के अपराध कितनी संख्या में हो रहे हैं। इसकी वास्तविकता का पता लगाना तो असम्भव है, क्योंकि बहुत से अपराध तो ऐसे हैं जिन्हें उजागर नहीं होने दिया जाता है, इनमें यदि हम ध्यान देते है तो सर्वाधिक अपराध महिलाओं के विरूद्ध किये जाते हैं, महिलाओं के विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों के लिए पुरूष प्रधान समाज संकीर्ण मानसिकता के साथ-2 सामाजिक परम्पराऐं और रूढ़िवादिता जिम्मेदार हैं। क्योंकि हमारे समाज में पुरूषों को अधिक महत्व दिया जाता है। जिस कारण पुरूष वर्ग ने हमेशा महिलाओं पर अपना वर्चस्व स्थापित करने में कोई कमी नही छोड़ी है जिस कारण वो तिरस्कार, उपेक्षा, अपमान का घूंट पी रही हैं।

महिला एवं पुरूष समाज के दो अभिन्न अंग हैं दोनों में से एक के बिना भी इस समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है लेकिन यह दुभाग्यपूर्ण है कि यह पुरूष प्रधान समाज महिलाओं को केवल दासी एवं उपभोग की वस्तु के रूप में देखता है। बचपन से ही महिलाओं के साथ दोहरा व्यवहार किया जाता है बात-बात पर टोका-टांकी की जाती है और उन्हें बचपन से ही कमजोर होने का एहसास कराया जाता है। उन्हें अनेक प्रकार की सामाजिक मानसिक सीमाओं में बाँध दिया जाता है। जिस कारण महिलाऐं स्वयं ही अपने को पुरूषों से कम आँकने लगती हैं। समाज का यह दोयम दर्जे का व्यवहार महिलाओं के शोषण के लिए वास्तविक रूप से जिम्मेदार है और महिलाओं को पुरूषों द्वारा उनके विरूद्ध किये जाने वाले अपराधों का सामना करना पड़ता है-

उनमें से कुछ का विवरण निम्न प्रकार है-

यौन उत्पीड़न बलात्कार

यह पुरूषों द्वारा किया जाने वाला एक अमानवीय कुकृत्य है, यह कुकृत्य विश्व के सभी देशों में होता है कहीं पर अधिक तो कहीं पर कम। इसको विश्व के सभी देशों में एक जघन्य अपराध माना गया है। यदि हम भारतीय समाज में इस अपराध की स्थिति देखे तो नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार-भारत में यह स्थिति भयावाहक है क्योंकि बलात्कार की प्रत्येक दो घटनाओं में सिर्फ 22 मिनट का अन्तराल होता है और बलात्कार पीड़िता में दो मंे से एक पीड़िता मासूम बच्ची होती है यदि हम पीड़िता की मानसिक स्थिति को समझे तो हमें उसकी पीड़ा सहज ही प्रतीत होगी क्योंकि बलात्कार की त्रासदी झेलने वाली महिला का जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, समाज में उसे हेय दृष्टि से देखा जाता है कभी-2 पीड़िता को बलात्कारी के द्वारा मार दिया जाता है तो कभी पीड़िता बाद में आत्महत्या कर लेती है।

UN Report of Human Rights Thompson Writer के सर्वे अनुसार महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा और सेक्स धन्धों में मजबूर करने के ज्यादा मामलों के कारण भारत को महिलाओं के लिए असुरक्षित देश माना जाता है।

दहेज के लिए उत्पीड़न

भारतीय समाज में कई ऐसी परम्पराऐं हैं जो विकृति के कारण आज समाज के लिए अभिशाप बन गयी हैं इसमें से दहेज भी एक ऐसी कुरीति है जिसके कारण प्रति वर्ष हजारों महिलाओं को हिंसा का शिकार होना पड़ता है और कुछ को हत्या का सामना करना पड़ता है। दहेज प्रताड़ना के इन मामलों में यह कुरीति निम्नवर्गीय या अशिक्षित परिवारों तक ही सीमित नही है, उच्च शिक्षित परिवारों में भी दहेज के लिए महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है और सुसराल के सभी अत्याचारों को सहन करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है।

यदि आंकड़ों का अध्ययन करे तो इस बात की पुष्टि होती है कि भारत में महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा के कारण महिलाऐं असुरक्षित प्रतीत हो रही है क्योंकि भारतीय समाज में महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अपराधों ने लगातार बढ़ोत्तरी दर्ज की जा रही है जो इस बात की ओर संकेत करता है कि वर्तमान में भारतीय समाज कितना अमानवीय एवं असंवेदनशील बन चुका है।

क्योंकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2007 से 2016 के बीच महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में 83ः वृद्धि हुई है नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार यहाँ रोजाना 100 से ज्यादा सेक्शुयल हैरासमेंट के मामले दर्ज होते हैं। आखिर कब तक महिलाओं के खिलाफ इसी तरह अपराध होते रहेंगे और इसके लिए किसकी जवाबदेही है। यद्यपि केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के द्वारा महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए काफी प्रयास किये जा रहे हैं और शेष किये जाने बाकी हैं महिलाओं के साथ होने वाली हिंसात्मक गतिविधियों को रोकने में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी महिलाओं को स्वयं लेनी चाहिए। जिससे वह अपने साथ होने वाले सभी प्रकार के शोषण से स्वयं की रक्षा कर सके इसके लिए प्रचार-प्रसार के साथ-2 उन्हें स्वावलम्बी बनाने के लिए उनका कौशल विकास करना भी महत्वपूर्ण है। समाज ने महिलाओं की जैसे-2 भागीदारी बढ़ेगी, पुरूषवादी मानसिकता का अहंकार टूटेगा जो एक घर में महिला के साथ होने वाली मानसिक प्रताड़ना को समाप्त करने की दिशा मंे प्रभाव होगा। महिलाओं के हितों के लिए विभिन्न प्रावधानों के अवसरों का उपयोग जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से करना अनिवार्य है क्योंकि हमारे देश में महिला अस्मिता को लेकर समाज और व्यवस्था को लेकर अनेक कमियाँ हैं, इसी वजह से महिला सुरक्षा का मुद्दा बेहद जटिल हो जा रहा है इस स्थिति में अचानक किसी प्रकार की सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि समाज और परम्परा से लेकर कानून व्यवस्था ऐसी है जिसे एकदम से तोड़ पाना असम्भव नहीं है। यह सूरत तभी बदल सकती है जब प्रत्येक स्तर पर बदलाव की पहल हो।

इसी लिए प्रसिद्ध समाज सुधारिका पीड़िता रमाबाई लिखती है कि महिलाओं को शिक्षित करने की आवश्यकता है जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके और समाज का विरोध कर सके हिन्दू धर्म में महिलाओं की पीड़ित स्थिति का वर्णन उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तकThe High Caste Hindu Women ने किया है।

उसी प्रकार प्रसिद्ध नारीवादी मेरी वोल स्टोनक्राष्ट-ने महिलाओं के लिए जीवन के हर क्षेत्र में समान अधिकारों एवं अवसरों को बढ़ावा देने की वकालत करती है और कहती है कि महिलाओं को सबसे पहले आर्थिक रूप से सशक्त होने की आवश्यकता है वो महिलाओं का सशक्त करने के उद्देश्य से उन्हें तार्किक सोच और आत्म अनुशासन पर बल देती है ताकि पितृसत्तात्मक दमनकारी नीतियों का विरोध करने में सक्षम हो सके।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध का उद्देश्य समाज का ध्यान महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा की ओर आकर्षित करके समाज का ध्यान महिलाओं की सुरक्षा के प्रति आकर्षित करना है। ताकि महिलाऐं असुरक्षा की भावना समाप्त हो सके और वे स्वयं को सशक्त बना सके।

निष्कर्ष

भारत में महिलाओं को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग को स्थापित किया गया। साथ ही ग्रामीण महिलाओं के कल्याण के लिए भी हर राज्य में महिला आयोग का निर्माण किया गया महिलाओं की सुरक्षा से सम्बन्धित अनेक कानूनों का निर्माण होने के बावजूद भी इनके के प्रति हो रहे। हिंसा में कमी नहीं आ रही है। जैसे-2 नये कानून बनाये जा रहे है। प्रशासनिक उपाय किये जा रहे हैं-वैसे-2 महिलाओं के प्रति अपराधों की संख्या बढ़ रही है यद्यपि महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए उनके अधिकारों का हनन रोकने, उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव आधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग एवं राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी संस्थाओं की स्थापना की गयी है। वर्तमान समय में अनेक अधिनियम राज्य सरकारें एवं केन्द्र सरकार बना चुकी है। लेकिन आज आवश्यकता है स्वस्थ सोच की क्योंकि जिस उद्देश्य से अधिनियम बनाये जाते हैं उन्हें उस उद्देश्य से क्रियान्वित नही किया जाता है इसी कारण से कानून अपराधिक गतिविधियों को रोकने में सक्षम नहीं हैं। यदि महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसा के प्रति कठोर एवं ठोस कदम नहीं उठाये गये तो देश एवं समाज की उन्नति नहीं हो सकती है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *सारस्वत स्वप्निल, समाज राजनीति और महिलाऐं: दशा और दिशा, राधा*
2. *पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली संस्करण 2004, पृष्ठ सं0-48*
3. *मोदी अनिता, महिला सशक्तिकरण: विविध आयाम वाईकिंग बुक्स, संस्करण 2011, पृष्ठ सं0-124*
4. *मिश्रा, एस0के0, महिलाओं के मौलिक अधिकार, अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, संस्करण 2010, पृष्ठ सं0-27*
5. *राजोरिया शोभा, महिला और कानून, ब्लू स्टार, संस्करण 2011, पृष्ठ-8*
6. *कुरूक्षेत्र पत्रिका पृष्ठ सं0-8*
7. *रावत ज्ञानेन्द्र, औरत अस्मिता और यर्थाथ, कानती बुक, दिल्ली, संस्करण 2002, पृष्ठ सं0-75*
8. *नईम मुहम्मद, महिला सशक्तिकरण एवं चुनौतियाँ एवं समाधान, यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, संस्करण 2014, पृष्ठ सं0-1*
9. *एन0यू0 राउत, महिला सुरक्षा एवं समाज, सत्यम् पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स, संस्करण 2103, पृष्ठ सं0-4*